


आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुसंधान के पश्चात ग्राम दौर दक्षिण के खाता सं. 253 खसरा नं. में आवेदन

पत्र अनुसार श्री श्रीम. पुत्र चंदा के स्थान पर श्री श्रीम. जाट पुत्र चंदा शक्ति किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश कोम्प श्री श्रीम. जाट पुत्र चंदा पंचायत दौर दक्षिण में दिनांक 29/12/25 को मजमेआम में सुनाया गया।


उपस्थित अधिकारी
फागी

